ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218
PP. No.- 158-162
ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-17, No.- I, Issues-31, YEAR- Jan.-March-2024

संविदा प्रवक्ता महिलाओं की समस्याः एक अध्ययन (सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय परिसर अल्मोड़ा के विशेष सन्दर्भ में)

1. डॉ0 कुसुम लता
2. प्रो0 इला शाह

1. प्रवक्ता, 2. विभागाध्यक्ष– समाजशास्त्र विभाग, एस0 एस0 जे0 विश्वविद्यालय परिसर, अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड) भारत

Received-12.03.2024, Revised-18.03.2024, Accepted-22.03.2024 E-mail: aaryvart2013@gmail.com

सारांशः ***संविदा शिक्षकों को कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, लेकिन 80 के दशक में प्राथमिक विद्यालयों से प्रारम्भ होकर प्रत्येक क्षेत्र विशेषकर उच्च संस्थानों में इसका हस्तक्षेप हुआ है, जो निरन्तर बढ़ता जा रहा है। अतिथि व्याख्याता, अंशकालिक स्वयं सेवक जैसे शब्दों को इसके पर्यायवाची के रूप में देखा जाता है। पूर्व में प्रचलित तदर्थ शिक्षा में हावी यह व्यवस्था निजीकरण और उदारीकरण की आँधी में शिक्षकों के दायित्व बोझ को बढ़ा रही है लेकिन इससे आर्थिक सम्पन्नता कम होती जा रही है। भविष्य की गारण्टी न होना, अभाव बोध की स्थिति उत्पन्न करना, मानसिक तनाव, आय तथा कार्य बोझ में भेद करना, समान योग्यता, समान कौशल की अनदेखी करना अनेक कारणों से इनका भविष्य जटिलताओं से घिरा है।***

अतः प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से सोबन सिंह जीना विश्वविद्याल, परिसर अल्मोड़ा में कार्यरत संविदा शिक्षक महिलाओं में व्याप्त विभिन्न प्रकार की समस्याओं को दर्शाने का प्रयास किया गया है।

कुंजीभूत शब्द– संविदा, महिलाऐं तनाव एवं अभाव बोध, अतिथि व्याख्याता, अंशकालिक, सेवक, तदर्थ शिक्षा, निजीकरण।

संविदा एक ठेका प्रथा है। 80 के दशक में दूर दराज शिक्षा के समवर्ती सूची में होने के चलते इस व्यवस्था को प्रारम्भिक तौर पर प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए हुआ और धीरे–धीरे यह माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक से होते हुए उच्च शिक्षण संस्थाओं में भी लागू हो गयी।

संविदा व्यवस्था एक अस्थायी व्यवस्था है, जिसे अनुबंध, अंशकालिक, अतिथि व्याख्याता व अस्थायी शिक्षक आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है। ये शिक्षकों का एक ऐसा समूह होता है जिनके पास पर्याप्त शैक्षिक योग्यता होती है और कभी–कभी तो यह शैक्षिक योग्यता स्थायी शिक्षकों के समान ही या तुलनात्मक रूप से उनसे भी अधिक होती है, लेकिन उनको दिया जाने वाला वेतन बहुत कम होता है।

शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों की कमी को दूर करने शैक्षिक कार्यो की नियमित व्यवस्था के लिए इसे लागू तो किया गया लेकिन इसमें आने के पश्चात इनमें लगे शिक्षकों का भविष्य अनिश्चित है। इस ठेका प्रथा को एक स्वीकृत बुराई के रूप में स्वीकृत किया जाना बेरोजगारी की एक गम्भीर समस्या है जिसमें शिक्षकों का स्वयं को समर्पित किया जाना उनकी मजबूरी है।

उच्च शिक्षा में इसकी जड़े काफी मजबूत है, यह पूर्व में प्रचलित तदर्थ शिक्षा व्यवस्था पर हावी हो गयी। निजीकरण व उदारीकरण की आंधी में शिक्षकों का दायित्व बोझ तो बढ़ता जा रहा है लेकिन आर्थिक सम्पन्नता घटती चली गयी ऐसी स्थिति में असमानता, पारस्परिक अभाव बोध, मानसिक तनाव उत्पन्न होता है जो समस्याओं को जन्म देने के प्रबल कारण माने जाते हैं।

शिक्षण संगठनों द्वारा बार–बार इस बुराई को दूर किये जाने के लिए किये गये आन्दोलन, समान कार्य समान वेतन का संवैधानिक नियम सभी की अनदेखी के कारण यह व्यवस्था जस की तस बनी हुई है और शिक्षकों की मजबूरी बन जाता है।

इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है तथापि कई विद्वानों द्वारा इसकी गम्भीरता को देखते हुए इस विषय पर अपने–अपने मत प्रस्तुत किए है जिन्हें साहित्य सर्वेक्षण के रूप में दर्शाया गया है।

गोविन्दा और जोसोफिन (2004) ने स्पष्ट किया है कि "संविदा शिक्षकों की भूमिका दूरदराज के गाँवों तक ही सीमित नहीं है बल्कि उनका बहुत हिस्सा दूरस्थ गाँवों को ही सौपा गया है"।[1]

रॉबिन्स और गौरी (2010) में लिखा है कि "संविदा शिक्षकों में से 92 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्त है इसका उद्देश्य ग्रामीण शिक्षण व्यवस्था को गति देना था, जब संविदा शिक्षकों नियमित शिक्षकों के सहायक के रूप में नियुक्त किया जाता है तो प्रतिकूल छात्र–शिक्षक अनुपात को कम करने में मदद कर सकते है।"[2]

किंगडन एवं राव (2010) ने Para Teacners in India : Status and Impact में लिखा है– "भारत में संविदा शिक्षकों की स्थिति को अनुकूल नहीं कहा जा सकता। पहले भारत में संविदा शिक्षक शब्द अनुबंध के नवीनीकरण की गारण्टी के बिना एक नवीकरणीय अनुबंध के आधार पर नियुक्त सभी शिक्षको को संदर्भित करता था, हांलाकि अनुबंध शिक्षकों की योजनाओं की विशेषताओं को अब अनुबंधित शिक्षकों के रूप में माना जाता है"।[3]

मुरलीधरन और सुंदररमन (2010) में लिखते हैं– "तथाकथित संविदा शिक्षकों स्थायी रूप से भर्ती शिक्षकों का बढ़ा हुआ उपयोग जो अल्पकालिक नवीकरणीय अनुबंधों पर कार्यरत है आमतौर पर यह शिक्षक कम वेतन प्राप्त करते हैं और कोई प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न होने पर नौकरी के प्रति असुरक्षा की भावना से ग्रसित होते है।"[4]

काम्या रानी ने अपने शोध पत्र "भारत में संविदा शिक्षक एक अवलोकन" 2015 में स्पष्ट किया है "संविदा शिक्षक व्यापक और विविध श्रेणी के हैं इन विभिन्न संविदा शिक्षक लेवल के अन्तर्गत आने वाले शिक्षकों के प्रकार में शामिल हैं :–

अध्ययन का उद्देश्य–

अस्थायी, अतिथि, तदर्थ, स्वयंसेवक आदि हालांकि उनमें वेतन एवं काम करने की स्थिति नियमित सिविल सेवा की तुलना में बहुत कम है"।[5]

अनुरूपी लेखक / संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-17, No.- I, Issues-31, YEAR- Jan.-March-2024

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि संविदा व्यवस्था कुछ समयावधि के लिए अनुबंधित होती है जिसमें स्थायी लोगों के समान कार्य किये जाते हैं, लेकिन उनके समान वेतन नहीं दिया जाता यह न केवल शिक्षकों बल्कि वर्तमान में प्रत्येक क्षेत्र में पायी जाती है, प्रारम्भ में रोजगार प्राप्ति की पूर्ति के कारण लोग इसे सहर्ष स्वीकार कर लेते है, लेकिन जब वह स्वयं की तुलना स्थायी कार्यरत लोगों से करते है तो उनमें अभावबोध की स्थिति जन्म लेती है।

अतः स्पष्ट है कि "एक प्रोफेसर जिसे अंशकालिक अनुबंध के रूप के आधार पर काम पर रखा जाता है और उनके पास उचित कार्य अवधि या कार्यकाल नहीं होता, उसे अतिथि शिक्षक कहा जाता है वे पूर्णकालिक प्रोफेसर की जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं, लेकिन पूर्णकालिक प्रोफेसर की तरह पढ़ाते है, उन्हें अतिथि व्याख्याता या अतिथि शिक्षक कहा जाता है"।[6]

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य सोबन सिहं जीना विश्वविद्यालय, परिसर अल्मोड़ा में कार्यरत संविदा शिक्षकों की समस्याओं का अध्ययन करना हैं।

शोध प्रारचना एवं पद्धतिशास्त्र– प्रस्तुत शोध पत्र में अन्वेषणात्मक एवं वर्णनात्मक शोध प्रारचना का प्रयोग किया गया है। सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय परिसर अल्मोड़ा में कार्यरत संविदा प्रवक्ताओं की कुल संख्या वर्ष 2020–2022 तक 66 थी जिसमें 36 महिलाएँ तथा 20 पुरूष सम्मलित है ये सभी संविदा प्रवक्ता कला, वाणिज्य, विज्ञान, शिक्षा व विधि संकायों में नियुक्त है शोध पत्र केवल यहां कार्यरत महिला प्रवक्ताओं की समस्या पर केन्द्रित है। संख्या के आधार पर यह 36 है शोध पत्र में संगणना पद्धति का प्रयोग कर सभी महिलाओं को अध्ययन हेतु चुना गया है और उनमें व्याप्त समस्याओं को जानने का प्रयास किया गया है इनमें सर्वाधिक 17 महिलाएँ कला संकाय सबसे कम मात्र 02 वाणिज्य संकाय में है जबकि विज्ञान, शिक्षा तथा विधि संकाय में यह संख्या क्रमशः 08, 06 तथा 03 है। ये सभी महिलाएँ ही उत्तरादाता के रूप में चयनित हैं। शोध पत्र हेतु तथ्यों के संकलन के लिए प्राथमिक तथ्यों के रूप में समस्याओं के मूल्यांकन हेतु स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूची तथा द्वितीय तथ्यों के संकलन हेतु सम्बन्धित साहित्य, शोध ग्रन्थ, शोध पत्र, वेबसाइट तथा कार्यालयी प्रलेखों आदि का प्रयोग किया गया है।

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अभी शैशव अवस्था में है। इसका गठन राजकीय विश्वविद्यालय के रूप में 2020 में सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 (2020 का उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 19) उत्तराखण्ड कैबिनेट द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात् हुई इससे पूर्व 1949 में यहाँ अल्मोड़ा डिग्री कॉलेज की स्थापना हुई थी जो आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध था। 1973 में कुमाऊँ विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद इसे संघटक महाविद्यालय बनाया गया।

वर्तमान मे पृथक विश्वविद्यालय की माँग के कारण इसे नये विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया और जाने माने समाजसेवी स्वतन्त्रता सेनानी व व्यवसाय से प्रतिष्ठित वकील श्री सोबन सिंह जीना जी का नाम दिया गया, पूर्व में भी परिसर अल्मोड़ा इसी नाम से स्थापित था। वर्तमान में इसमें चार अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ व चम्पावत परिसरों को शामिल किया गया है।

प्रस्तुत अध्ययन में उत्तरदाताओं के रूप में केवल कार्यरत संविदा प्रवक्ता महिलाओं को सम्मिलित कर उनमें व्याप्त समस्याओं को जानने का प्रयास किया है।

आयु किसी भी शोध हेतु आवश्यक चर होता है। "आयु के आधार पर सामाजिक पद, भूमिका, शक्ति, सुविधा, दायित्व इत्यादि का विभाजन किया जाता है। अतः अध्ययन हेतु सर्वप्रथम उत्तरदाता महिलाओं की आयु सम्बन्धी तथ्य निम्नवत् प्राप्त हुए :

संविदा प्रवक्ताओं की आयु सम्बन्धी वर्गीकरण

सारणी संख्या–01

क्र०सं०	आयु वर्ग	आवृत्ति	प्रतिशत
01	22 से 32 वर्ष	18	50.00
02	32 से 42 वर्ष	13	36.11
03	42 से अधिक	05	13.89
04	योग	36	100.00

प्राप्त तथ्यों में सर्वाधिक 50 प्रतिशत उत्तरदाता 22 से 32 वर्ष के बीच है 32 से 42 वर्ष का प्रतिशत 36.11 जबकि 42 से अधिक 13.89 प्रतिशत उत्तरदाताओं का पाया जाना इस बात को इंगित करता है कि उत्तरदाताओं में स्थायी होने की उम्मीद में अपने जीवन की अधिकांश आयु विश्वविद्यालय में संविदा प्रवक्ता के रूप में कार्य करते हुए व्यतीत कर दी है।

संविदा प्रवक्ताओं में कार्यविधि भी अलग–अलग है जिसमें कुछ काफी वर्षो से तो कुछ को कार्य करते हुए कम समय हुआ है, अतः उनकी कार्याविधि को जानने का प्रयास करने पर निम्न तथ्य प्राप्त हुए :

संविदा शिक्षकों की कार्याविधि सम्बन्धी वर्गीकरण

सारणी संख्या–02

क्र० सं०	वर्ष	आवृत्ति	प्रतिशत
01	05–08	03	0.33
02	08–11	20	55.56
03	11–13	10	27.78
04	13 से अधिक	03	08.33
	योग	36	100.00

ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-17, No.- I, Issues-31, YEAR- Jan.-March-2024

जैसा कि विदित है कि संविदा प्रवक्ताओं के नियुक्ति के नियम यू0जी0सी0 मानकों पर आधारित है। अतः शैक्षिक योग्यता की परिपूर्णता के पश्चात ही उन्हें नियुक्त किया जाता है। चयनित उत्तरदाताओं की शैक्षिक योग्यता का विवरण निम्नवत् प्राप्त हुआ है :

संविदा प्रवक्ताओं की शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी तथ्य

सारणी संख्या–03

क्र0 सं0	प्रत्युत्तर का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
01	पी एच0 डी0	18	50.00
02	नेट	10	27.77
03	पीएच0डी एवं नेट/यूसेट	06	16.64
04	जे0 आर0 एफ0	01	02.78
05	पीएच0डी0 जे0आर0एफ0	01	02.78
06	योग	36	100.00

शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्राप्त तथ्यों में सभी के पास उच्च शिक्षा जो यू0जी0सी0 के मानक होते है से परिपूर्ण हैं और ये इस बात की भी पुष्टि करते है कि कहीं–कहीं ये शिक्षा स्थायी शिक्षकों की तुलना में बहुत अधिक है जैसा कि 50 प्रतिशत प्रवक्ता पी–एच0डी0 है 27.77 प्रतिशत केवल नेट 16.64 प्रतिशत नेट/सेट एवं पी–एच0डी0 2.78 प्रतिशत जे0 आर0 एफ0 दोनों है ये तथ्य इस बात को प्रमाणित करते हैं कि इनकी नियुक्ति का आधार वहीं मानक होते है जो स्थायी प्रवक्ताओं के है।

निम्न सारणियों द्वारा 52.77 विवाहित तथा 47.23 प्रतिशत अविवाहित, 66.67 प्रतिशत सामान्य 16.66 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 5.56 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति तथा 11.11 प्रतिशत उत्तरदाता अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित है। 47.22 प्रतिशत उत्तरदाता ने अपनी पहचान स्थानीय तथा 52.78 प्रतिशत ने बाहर से आकर रोजगार करना स्वीकार किया गया है। इसी प्रकार 66.67 प्रतिशत ने सामान्य वर्ग, 30.55 आरक्षित वर्ग, 2.73 ने अपनी नियुक्ति ई0 डब्ल्यू0 एस0 से होना स्पष्ट किया है, दिव्यांग आरक्षण से नियुक्ति का प्रतिशत शून्य पाया है, 27.78 प्रतिशत एकाकी परिवार में निवास करते है। तथ्यों को निम्नवत् स्पष्ट किया गया है :

वैवाहिक स्थिति का वर्गीकरण

सारणी संख्या–04

क्रम संख्या	प्रत्युत्तर का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
01	विवाहित	19	52.77
02	अविवाहित	17	47.23
03	योग	36	100.00

जति सम्बन्धी वर्गीकरण

सारणी संख्या–05

क्रम संख्या	प्रत्युत्तर का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
01	सामान्य	24	66.67
02	अनुसूचित जाति	06	16.66
03	अनुसूचित जनजाति	02	5.56
04	अन्य पिछड़ा वर्ग	04	11.11
	योग	36	100.00

परिवेश सम्बन्धी तथ्य

सारणि संख्या–06

क्रम संख्या	प्रत्युत्तर का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
01	स्थानीय	17	47.22
02	बाहरी	19	52.78
03	योग	36	100.00

नियुक्ति का स्वरूप सम्बन्धी सारणी

सारणी संख्या –07

क्रम संख्या	प्रत्युत्तर का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
01	सामान्य वर्ग	24	66.67
02	आरक्षित वर्ग	11	30.55
03	ई0 डब्ल्यू0 एस0	01	2.78
04	दिव्यांग	00	00.00
05	योग	36	100.00

ASVP PIF-9.676 /ASVS Reg. No. AZM 561/2013-14

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-17, No.- I, Issues-31, YEAR- Jan.-March-2024

परिवारिक स्वरूप सम्बन्धी तथ्य

सारणी संख्या– 08

क्रम संख्या	प्रत्युत्तर का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
01	एकाकी	26	72.22
02	संयुक्त	10	27.78

उत्तरदाताओं के पार्श्व चित्र का मूल्यांकन करने के पश्चात इन संविदा प्रवक्ताओं में व्याप्त समस्याओं को जानने का प्रयास किया गया कि क्या वे अपनी नियुक्ति से मानसिक तनाव अनुभव करती है और ये क्या उनके परिवार को प्रभावित करता है, तथ्य निम्नवत् है :

मानसिक तनाव की स्थिति का मूल्यांकन सम्बन्धी विवरण

सारणी संख्या–09

क्र०सं०	प्रत्युत्तर का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
01	बहुत अधिक	27	75.00
02	थोड़ा बहुत	05	13.88
03	नहीं होता	04	11.12
04	योग	36	100.00

प्राप्त तथ्यों में सर्वाधिक उत्तरदाता 75.00 प्रतिशत बहुत अधिक तनाव होने के स्थिति को स्वीकार करते हैं। 13.88 प्रतिशत थोड़ा बहुत तनाव तो 11.12 प्रतिशत ने तनाव होने की स्थिति को अस्वीकार किया है। विगत 05–15 साल से इसी पद पर कार्यरत होने को तथा भविष्य में भी स्थायी की कोई गारण्टी न होने को उत्तरदाताओं ने इसके कारण के रूप में व्यक्त किया है।

संविदा प्रवक्ताओं की स्थिति समान कार्य होने की पश्चात् भी समान सुविधाओं का लाभ प्राप्त न होने के कारण उनमें अभाव बोध को उत्पन्न करता है मर्टन ने लिखा है "सापेक्ष अभाव बोध तुलनात्मक दृष्टिकोण पर आधारित स्थिति है जो व्यक्ति और समूह पर केन्द्रत होती है।"[7] इन्द्रा चौहान ने स्पष्ट किया है कि "एक कार्यालय में समान कार्यो के पश्चात् भी समान आय न होने के कारण सापेक्ष अभावबोध की स्थिति को देखा जा सकता है।"[8] 16.66 ने कभी–कभी होने तथा 8.34 प्रतिशत कह नहीं सकते विकल्प का चयन करते पाये गये तथ्य निम्नवत् है :

अभाव बोध होने सम्बन्धी तथ्य

सारणी संख्या–10

क्र०सं०	प्रत्युत्तर का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
01	हाँ	27	75.00
02	कभी–कभी	05	16.6
03	कह नहीं सकते	04	8.34
04	योग	36	100.00

नोट– अभाव बोध के मुख्य कारणों को निम्नवत स्पष्ट किया गया है :

- समान या अधिक शिक्षा होने के पश्चात् भी समान आय या वेतन में बहुत अधिक अन्तर होना।
- स्थायी प्रवक्ताओं की तुलना में कार्यबोझ की अधिकता।
- विश्वविद्यालय प्रशासन का दबाव।
- कई वर्षो का अनुभव होने के पश्चात् भी शोध कराने की अनुमति न होना जबकि वर्तमान में मात्र एक से डेढ़ साल के अनुभव के कारण स्थायी प्रवक्ता यह कार्य कर रहे हैं।
- अवकाश सम्बन्धी अन्तर व सुविधाओं का अभाव।

संविदा प्रवक्ताओं में परीक्षा ड्यूटी का हमेशा दबाव बनाया जाता है। ऐसा सर्वाधिक 80.55 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया है। 83.34 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने 15 साल से कार्यरत होने के पश्चात् भी प्रश्न पत्र निर्माण न कराये जाने की बात कही है, लेकिन सर्वाधिक 61.11 प्रतिशत उत्तरादाताओं ने पुस्तकों का मूल्यांकन कार्य करना स्वीकार किया है। तथ्य निम्न सारणियों के माध्यम से दर्शाये गये हैं।

ड्यूटी करने हेतु दबाव सम्बन्धी प्रत्युत्तर

सारणी संख्या–11

क्र०सं०	प्रत्युत्तर का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
01	हाँ	29	80.53
02	नहीं	04	11.11
03	तटस्थ	03	8.34
04	योग	36	100.00

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-17, No.- I, Issues-31, YEAR- Jan.-March-2024

प्रश्न पत्र निर्माण सम्बंधी तथ्य
सारणी संख्या–12

क्र0सं0	प्रत्युत्तर का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
01	हाँ	06	16.66
02	नहीं	36	83.34
03	योग	36	100.00

पुस्तिकाओं के मूल्यांकन सम्बन्धी तथ्य
सारणी संख्या–13

क्र0सं0	प्रत्युत्तर का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
01	हाँ	22	61.11
02	नहीं	10	27.77
03	कभी–कभी	04	11.12
04	योग	36	100.00

विश्वविद्यालय के परिसर अल्मोड़ा के विज्ञान तथा शिक्षा संकाय में कार्यरत संविदा प्रवक्ताओं के कार्यों में प्रायोगिक परीक्षा (Practical) तो कला संकाय व वाणिज्य संकाय में मौखिक परीक्षा का प्रावधान है, लेकिन यहाँ तथ्यों के मध्य भेद परिलक्षित होता है। कला संकाय की सभी महिला उत्तरदाताओं ने कई वर्षो के अनुभव के पश्चात् भी अन्य संस्थानों में मौखिक परीक्षा सम्पन्न करवाने सम्बन्धी कार्यो से इनकार किया है। यही स्थिति वाणिज्य तथा विधि संकाय में भी पायी गयी, जबकि यहाँ कई सालों के अनुभवयुक्त प्राध्यापक कार्यरत हैं लेकिन विज्ञान संकाय में 2–3 सालों के अनुभव के पश्चात् प्रायोगिक/मौखिक परीक्षा लेने का अवसर दिया जाता है, यह स्थिति भी इन संविदा प्रवक्ताओं में तुलना के आधार पर अभाव बोध को दर्शाती है।

प्रायोगिकध्मौखिक परीक्षा सम्पन्न कराने सम्बन्धी तथ्य
सारणी संख्या–14

क्र0सं0	प्रत्युत्तर का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
01	हाँ	14	38.88
02	नहीं	22	61.12
03	योग	36	100.00

अतः उपरोक्त विभिन्न तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रत्येक क्षेत्र चाहे यह चिकित्सा का हो, कर्मचारियों, संविदा प्रवक्ताओं या अन्य अपने आप में एक गम्भीर समस्या व चिन्ता का विषय है। इसके कारण अभावबोध, चिन्ता व मानसिक तनाव का लेवल बढ़ता जा रहा है। भविष्य की अनिश्चितता के कारण व्यक्ति जीवन सम्बन्धी निर्णयों को लेने में स्वयं को असहज महसूस कर रहा है। इस प्रकार की व्यवस्था का समाधान नितान्त आवश्यक है। अनुभवी शिक्षकों को प्रश्नपत्र निर्माण, प्रायोगिक/मौखिक परीक्षा के लिए नियुक्त किया जाना। उन पर प्रशासन का दबाव अथवा विभागीय दबाव का निराकरण करना और सबसे अधिक एक समयावधि के पश्चात् उनके स्थायित्व की गारण्टी आज की आवश्यकता है, ताँकि शिक्षक सोच–विचार को त्यागकर अपना सारा ध्यान विद्यार्थियों पर केन्द्रित कर सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Govind and Josephine- "Contract Teachers in India : A Review" Pars IIEP UNESCO-2004.
2. Robinson and Gauri Education Labour Rights and Incentives Contract Teachers case in Indian Courts Policy Research Working Paper 5365, World Bank-2010.
3. Kingdom and Sipahimalani Rao Contract Teacher's : Expariental Evidence from India Department of Eco nomics, University of San Digo California-2010.
4. Muralidaran and Sundararman Contract Teachers : Experimental Evidernce from India Department of Economics, University of san Diego, California, 2010.
5. Rani Kamya- Contract Teacher's in Inida : An Overview Academia E ISSN 24549916, VOL Issue 05 Dec-2015.
6. Teachmint @wp.Gueust Teacher-Meaning deffination and more. Teachmint, 07Jan -2022,www.teachmint.com/glosary/g/assistantteacher.
7. Morton Robe King- Social Theory and Social Stracture Publishing Newyork, Free press-1968 PN. -16-18
8. Chauhan Indira. " The Dilemme of working Women Hostelers." B.R. Publishing Corporation, Delhi. PN-46

*****